न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 15/2026 बडनवानी कैलाश चन्द वर्मा बनाम अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी–बी–23 जय जवान अपार्टमेंट विधाधर नगर से.1 जयपुर 302039

GCMS No-2026/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 3.12..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **"प्रार्थना पत्र दिनांक 3.12.2025 बाबत निर्णय की पालना नही करने के कम मे दिया गया उस पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति "** अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक:एफ.13(01)(180)/सूकाअ/2025/110 दिनांक 02.02.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12..2025 मे चाही गयी सूचना के लिए प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को 2/–रू जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु जरिये पत्रांक 3363–65 दिनांक 30.12.2025 द्वारा लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के लिए 2/–रू शुल्क जमा करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग के पत्रांक 3363 दिनांक 30.12.2025 से लिखा गयाा किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वांछित शुल्क राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner